

प्रेस नोट – कोतवाली फर्रुखाबाद

दिनांक :- 14.01.2026

कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को कुल 45 कोन प्रतिबंधित चाइनीज मांझा सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त टिकू पुत्र दिवारी लाल निवासी मोहल्ला सलावत खां कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ को कुल 45 चरखी/कोन प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचते हुए गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 10/2026 धारा 125 बीएनएस व धारा 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. टिकू पुत्र दिवारी लाल निवासी मोहल्ला सलावत खां कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- चाइनीज/नायलान, कांच मांझे से राहगीरों के साथ आये दिन हादसे होते हैं तथा चाइनीज /नायलान, कांच मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध है। चाइनीज मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध होने के

पश्चात भी अभियुक्त उपरोक्त द्वारा चाइनीज/नायलान, कांच मांझे का अत्यधिक मात्रा में भण्डार कर बिक्री की जा रही थी। स्थानीय पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त टिकू उपरोक्त के कब्जे से कुल 45 कोन अवैध चाइनीज मांझा बेचते हुए गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 10/2026 धारा 125 बीएनएस व धारा 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मार्केट में चाइनीज मांझे की बिक्री की डिमाण्ड है इसे बेचने पर काफी मुनाफा होता तथा अपने किये गये कृत्य की गलती मानते हुए अपने बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त टिकू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

01.मु0अ0सं0 10/26 धारा 125 बीएनएस व धारा 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

01. दो अदद प्लास्टिक के बोरो में कुल 45 चरखी/कोन प्रतिबंधित चाइनीज मांझा

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस :-

1. थानाध्यक्ष श्री दर्शन सिंह सोलंकी
2. उ0 नि0 श्री इमरान फरीद
3. उ0नि0 अमित कुमार गुप्ता
4. का0 मनोज कुमार
5. का0 मलिखान सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फतेहगढ़

दि०-14.01.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त संजू उर्फ संजीव पुत्र हाकिम पाल निवासी मोहल्ला रंग साजन कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु०अ०स०-12/2018 वाद संख्या 187/2018 धारा 323/504/308 भादवि० कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहरर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय ए०डी०जे० - ०७ / एनडीपीएस कोर्ट द्वारा दिनांक 14.01.2026 को अभियुक्त संजू उर्फ संजीव को दोषसिद्ध कर ०७ वर्ष के साश्रम कारावास की सजा 52000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री संजीव कुमार मिश्रा



को० मो० म०हे०का० सुशीला



पैरोकार - हे०का० हरिओम यादव



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना कमालगंज





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



कोतवाली फतेहगढ़



#MissionShakti



मिशन शक्ति 5.0



थाना शमसाबाद



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना कम्पिल



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना मऊदरवाजा





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



महिला थाना





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना मेरापुर



मिशन शक्ति 5.0



कोतवाली मोहम्मदाबाद

